

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 127

दिनांक 15/01/2024

प्रार्थी :-

1.भेराराम पुत्र वीरमाराम
जाति जाट
निवासी भारियों की बस्ती (गोलियार)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.सोनाराम पुत्र वीरमाराम 2.रमेश पुत्र मगाराम 3.गुड्डी पत्नि
मगाराम 4.कृष्णराम पुत्र भूराराम 5.दलीदेवी पत्नि भूराराम
6.जेतीदेवी पत्नि पोकराराम 7.अमराराम 8.लक्ष्मणराम पि.
पोकराराम, जाति जाट 9.शौकतअली पुत्र राणाखान
10.सतबाई पत्नि शौकतअली, 11.जमालदीन पुत्र बागाखान
12.हसनखान पुत्र सिधिकखान 13.शरीफ 14.नवाब पि.जलाल,
जाति सिंधी मुसलमान, निवासी भारियों की बस्ती
15.हसनखान पुत्र सिधिकखान, जाति मुसलमान, निवासी
ईशरोल, तहसील चौहटन 16.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 64/2023

दिनांक : 15.01.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र सणाऊ के मौजा भारियों की बस्ती के खेत खसरा सं. 209/175 रकबा 07.0334 हैक्टेयर, खसरा सं. 205/170 रकबा 02.8571 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

क्रमांक/भू.अ./2024/ 128 to 131

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी भेराराम
3. विप्रार्थीगण सोनाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 15/01/2024



(सूरजभान विश्‍नोई)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन